

**GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)**

2012/TG-I/20/P/Lower Berth

New Delhi, dated 31.08.2015

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

COMMERCIAL CIRCULAR NO.51 OF 2015

Sub: Earmarking of reservation quota for women and senior citizens.

With a view to facilitate senior citizens and female passengers, when travelling alone, a combined reservation quota of two lower berths per coach was earmarked in Sleeper, 3AC and 2AC classes for Senior Citizens, female passengers above the age of 45 and pregnant women vide Commercial Circular No. 40 of 2007 dated 18.04.2007.

1.1 These instructions were slightly modified vide Commercial Circular No. 15 of 2015 dated 13.03.2015, wherein the quota of 2 lower berths per coach in Sleeper class was enhanced to 4 lower berths per coach.

1.2 Complaints/suggestions were being received from time to time for allowing two senior citizens/female passengers to book berths under this quota. This was not being allowed as there was possibility of splitting the party in two different coaches in case some berths in a coach under this quota have already been booked.

2. The matter has been reviewed and it has been decided that the facility of booking tickets under senior citizen quota may be provided where in a single application, two passengers are in a combination of senior citizens/female passengers above the age of 45/pregnant women. Passengers not falling in the category of passengers eligible to book ticket under Senior Citizen Quota will not be allowed to book tickets in combination with other passenger who is eligible for this quota.

2.1 CRIS will make necessary modifications in the software W.e.f. 1st January 2016 and advise the date of effect to all Zonal Railways as well as this office. The passengers are required to be suitably informed that in such cases, the party may get split in two different coaches. For this purpose following actions are required to be taken:

- i. For online booking , IRCTC will make a provision that whenever two passengers are being booked in Senior Citizen Quota, a popup message

should come that the passengers may get split in two coaches and if they want to proceed they should type 'Yes'.

- ii. CRIS will also examine the feasibility of giving a popup message on the screen of PRS terminal and the reservation Clerk will be required to indicate 'Yes' after informing the passenger / his representative booking the ticket.
 - iii. Zonal Railways will also give wide publicity through all possible means including displaying of information in PRS centers to educate passengers on this account.
3. Necessary instructions may be issued to all concerned.

V/S
2/8/15

(Vikram Singh)

Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

- 1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
- 7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
- 8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

सं. 2012/टीजी-1/20/पी/लोअर बर्थ

नई दिल्ली, दिनांक 31.08.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 51

विषय: महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करना

वरिष्ठ नागरिकों और महिला यात्रियों को अकेले यात्रा करने की स्थिति में सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से दिनांक 18.04.2007 के 2007 का वाणिज्य परिपत्र सं. 40 के तहत वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्लीपर श्रेणी, तृतीय श्रेणी वातानुकूलित और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित श्रेणियों में प्रत्येक कोच में दो निचले बर्थों का संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया था।

1.1 इन अनुदेशों में दिनांक 13.03.2015 के 2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 15 के तहत थोड़ा-सा संशोधन किया गया था जिसमें शयनयान श्रेणी में प्रति कोच 2 निचले बर्थों का कोटा बढ़ाकर प्रति कोच 4 निचले बर्थ कर दिया गया था।

1.2 इस कोटे के अंतर्गत बर्थ बुक करने के लिए दो वरिष्ठ नागरिकों/महिला यात्रियों को अनुमति देने के लिए समय-समय पर शिकायतें/सुझाव प्राप्त हो रहे थे। इसकी अनुमति नहीं दी जा रही थी क्योंकि यदि इस कोटा के अंतर्गत किसी कोच में कुछ बर्थ पहले से बुक की गई हो तो पार्टी के दो अलग-अलग कोचों में बंटने की संभावना थी।

2. इस मामले की समीक्षा की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि वरिष्ठ नागरिक कोटा के अंतर्गत टिकटें बुक करने की सुविधा दी जाए जहां एक ही आवेदन में दो यात्री वरिष्ठ नागरिक/45 वर्ष से अधिक आयु की महिला यात्री/गर्भवती महिला का संयोजन हो। वे यात्री जो वरिष्ठ नागरिक कोटा के अंतर्गत टिकट बुक करने के लिए पात्र यात्रियों की कोटि में नहीं आते हैं, उन्हें दूसरे यात्री जो इस कोटा के लिए पात्र हो, के साथ संयोजन में टिकटें बुक कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.1 क्रिस 1 जनवरी, 2016 से सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करेगा और सभी क्षेत्रीय रेलों एवं इस कार्यालय को भी इसके प्रभावी होने की तारीख के बारे में सूचित करेगा। यात्रियों को विधिवत रूप से यह सूचित करना अपेक्षित है कि ऐसे मामलों में, पार्टी दो अलग-अलग कोचों में बंट सकती है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

- i. ऑनलाइन बुकिंग के लिए, आईआरसीटीसी यह प्रावधान करेगा कि वरिष्ठ नागरिक कोटा में जहां-कहीं दो यात्रियों को बुक किया जा रहा हो, एक पॉपअप मैसेज आना चाहिए कि यात्री दो कोचों में बंट सकते हैं और यदि आगे की कार्रवाई चाहते हैं तो उन्हें "हां" टाइप करना चाहिए।
 - ii. क्रिस को भी पीआरएस टर्मिनल के स्क्रीन पर पॉपअप मैसेज देने की व्यावहारिकता की जांच करनी चाहिए और टिकट बुक कराने वाले यात्री/उसके प्रतिनिधि को सूचित करने के बाद आरक्षण लिपिक को "हां" दर्शाना अपेक्षित है।
 - iii. क्षेत्रीय रेलों को इस संबंध में यात्रियों को शिक्षित करने के लिए पीआरएस केंद्रों में सूचना प्रदर्शित करने सहित सभी संभव साधनों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार भी करना होगा।
3. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

15/11/15
(विक्रम सिंह)

निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2. एडीजी/पीआर, रेलवे बोर्ड.
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली.
4. महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यापुरी, नई दिल्ली.
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
6. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
7. निदेशक, इण्डियन रेलवे इस्टीमेट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.
8. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
9. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (इरपोफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.
